न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार यादव आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 142/017 — तारीख रजू 26.12.2017

1 राजकुमार पुत्र हरिशंकर
2 विष्णु कुमार पुत्र हरिशंकर
3 सुनीता पुत्री हरिशंकर
4 गोविन्द पुत्र कैलाश
5 सचिन पुत्र कैलाश
6 आशा पुत्री कैलाश
7 पूनम पुत्री कैलाश

} समस्त जाति ब्राहामण निवासीयान खेडिया रोड, हिण्डौन सिंटी जिला करौली

—— सायलान

बनाम

1 निरंजन पुत्र नथुआलाल
2 कैलाश पुत्र नथुआलाल
3 लक्ष्मी देवी वेवा हरिशंकर
4 मधु पुत्री हरिशंकर
5 शकुन्तला पुत्री हरिशंकर

} समस्त जाति ब्राहामण निवासीयान खेडिया रोड, हिण्डौन सिंटी जिला करौली

6 श्रीमति रजनी उपाध्याय पत्नि श्री शिवकुमार
7 शिवकुमार अपाध्याय पुत्री गंगाप्रसाद

} जाति ब्राहामण निवासी हाईवर एजेन्सी फिरोजाबाद रोड,एन.एच. 2 टूंडला, उत्तरप्रदेश

8 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन

—— गैरसायलान

प्रार्थनापत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 31.12.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने खिलाफ गैरसायलान वावत इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश कर बताया गया है कि आराजी खसरा नं. 5896,5897,5898, 5936, 5940, 5995, कुल किता 6 कुल रकवा 2.38 है. वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन मे स्थित है जो सायलान व गैरसायलान संख्या 1 ता 5 को सायलान के बाबा व गैरसाल नं. 1 व 2 के पिता नथुआ से बिरासत मे प्राप्त हुई है जिसमे सायलान का जन्म से ही कानूनी खातेदारी अधिकार प्राप्त है सायलान की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को उक्त आराजी रहन व्यय करने का अधिकार प्राप्त नही है। गैरसायल संख्या 7 शिवकुमार का सायल के बहनोई पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के साथ घर आना जाना था पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा टूण्डला मे रह कर पंण्डिताई करते है ये सजातीय होने पर अत्यन्त प्रेम भाव था जिसके कारण गैरसायल संख्या 7 सायलान के बहनोई पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के साथ सायलान के घर आते जाते थे ओर परिवार को जानते थे गैरसायल संख्या 1 से मिल कर [illegible] रच कर गैरसायल नं. 1 चालाक किस्म का व्यक्ति होने एवं कम पढा लिखा एवं सायलान नं. 2 व 3 अनपढ व्यक्ति होने का नाजायज लाभ उठाते हुए गैरसायल संख्या 1 ने [illegible]क 11.08.2016 को सायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 4 व 5 से गैरसायल नं. 3 के नाम रिलीज डीड करवा दी। [illegible] समय सायल संख्या 1 17 साल की उम्र थी जो नाबालिक [illegible] जो रिलीज डीड कराने का अधिकार नही रखता है। इस रिलीज होने के बाद गैरसायल नं. 3 के नाम खातेदारी करवा कर गैरसायल के पक्ष मे दिनांक 28.04.2007 को बिकयपत्र पंजीबद्ध करवा लिया था जो

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कानूनन विरूद्ध एवं एबनिशिया नल एण्ड वोईड है ओर सायलान के अधिकारो तक शून्य हैं। गैरसायल नं. 1 ने गैरसायल नं. 2 को बहला फुसला कर सायल संख्या 4 ता 7 के पिता कैलाश, दादी दरवी देवी बुआ शारदा से दिनांक 11.08.2006 को एक रिलीज उप पंजीयक हिण्डौन के यहा पंजीकत करा दी जबकि सायलान कैलाश के पुत्र पुत्री है जिनकी कोई सहमति नही ली है भूमि पैतृक है जो किसी प्रकार का रिलीज डीड आदि कराने का अधिकार नही रखते है तथा एक रिलीज डीड दिनांक 31.01.2007 को कमलेश पुत्री नथुआ से भी अपने नाम करवा ली गई है। गैरसायल नं. 1 ता 3 की मॉ लक्ष्मीदेवी अपने पति की मृत्यु के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ्य थी उसके उपर असामयिक पति की मृत्यू के कारण परिवार का भारी बोझ आ पडा जिसका फायदा उठा कर एक बिक्रय पत्र दिनांक 26.04.2007 को बिना प्रतिफल के गैरसायल नं. 1 6 व 7 ने साझ कर पंजीकत करा लिया गया है जिसकी कोई राशि कभी अदा नही की गई है भूमि हाउसिंग बोर्ड मे अवाप्ति के नोटिस राज. सरकार से मुआवजा लेने के जारी होने पर गैरसायल नं. 1 ने धोखे से मआवजा राशि प्राप्त करने के लिए अपने आप को अधिकत कराने मे हमसे पावर ऑटोरनी के स्थान पर रिलीज डीड करा ली गई है। जो कानूनन विरूद्ध है। दिनांक 25.12.2017 को गैरसायल संख्या 6 व 7 अपने साथ बाहर के कुछ गुण्डे किस्म के व्यक्तियो को मय हथियार ले कर मौके पर आ गये एवं जेसीबी मशीन से विवादित आराजी की मैड आदि को तोडने लग गये सायलान द्वारा मना करने पर ऐलानीया धमकी देते हुए कहा गया की भूमि हमारे नाम होने पर हम पैसे बालो के नाम बेच देगे ओर भूमि पर कब्जा कर तुम्हे बेदखल कर देगे। उन्होने सायलान की मॉ लक्ष्मीदेवी को ही पुलिस के सामने ही नीचे गिरा दिया। सायलान ने गैरसायलान को काफी समझाने की कोशिश की गई किन्तु बो मानने को तैयार नही हुए इस कारण प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं अंत मे प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए गैरसायलान को ता फैसला दावा तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब करने का गैरसायल संख्या 1 ता 5 जरिये वकालान्तन उपस्थित आये 6 व 7 वाहर रहने पर उनको 10.10.2018 से अखवार मे नोटिस साया /प्रकाशन कराया गया किन्तु 14.03.2019 तक उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय अमल मे लाई गई। गैरसायल नं. 8 तहसीलदार को न्यायालय में मौखिक तोर पर तलव किया गया गैरसायल 1 ता 5 ने जवाव प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र मे वर्णित बिन्दुओ को स्वीकार करते हुए वादी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही की है। साथ ही प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी पर सायलान का आज भी कब्जा हैं मौके पर देवताओ का चबूतरा आदि बने हुए है जिनकी सुवह श्याम पूजा अर्चना की जा रही है। इसी सम्बंध मे एक प्रार्थनापत्र माननीय न्यायाल अपर जिला न्यायाधीश कम संख्या 1 [illegible] प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का उनवानी गोविन्द आदि बनाम निरंजन बगै. का मुकदमा न[illegible] 2[illegible] विवादित आराजी का दायर हुआ था जिसमे ये सभी पक्षकार उसमे थे माननीय न्या[illegible] द्वारा दिनांक 25.01.2019 को प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील गैरसायल नं. 1 ता 5 ने अपने जवाव [illegible]थन में जवाव प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए विवादित आराजी में अस्थाई निषेधाज्ञा देने मे अपनी कोई आपत्ति नही बता कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उभयपक्षकार अभिभाषकगणो की बहस का मनन करने एवं गैरसायल की अनापत्ति जवाव प्रार्थनापत्र में पाया गया है कि विवादित आराजीयात सायल व गैरसायल के पूर्वजों की थी। जिसे माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 हिण्डौन सिटी द्वारा मु. नं. /2018 उनवानी गोविन्द आदि बनाम निरंजन वगै. मे भूमि पर सायलान का प्रथम द्वष्टया एवं सुविधा का सन्तुलन मानते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया है। ओर भूमि पर कब्जा होना सावित हुआ जिसे अब किसी प्रकार से नकारा नही जा सकता है। गैरसायल नं. 6 व 7 को बाबजूद सूचनाओ के उपस्थित नही आये जिससे प्रतीत हो रहा है कि इनको इन सभी प्रकरणो की पूर्ण जानकारी है इस प्रकार से यही मत वकील सायल एवं वकील गैरसायल संख्या 1 ता 5 द्वारा अपने जवाव एवं मौखिक बहस मे कहा गया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र खिलाफ गैरसायलान वावत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का स्वीकार किया जाता है। तथा आराजी खसरा नं. 5896,5897,5898, 5936, 5940, 5995, कुल किता 6 कुल रकवा 2.38 है. वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में पूर्व में दिनांक 12.10.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला संपुष्ट किया जाता है। गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि सायलान के हिस्से की उपयोग उपभोग मे व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं उत्पन्न करे तथा ना ही अन्य किसी से करावें, रहन व्यय नही करें। रिकॉर्ड व मौका की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल सुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12..2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.19

(सुरेश कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

MAGISTRATE हिण्डौन HINDAUN

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.20 12:25:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner